

आदेश

नगर पालिका, श्री डूंगरगढ़ द्वारा जोनल डवलपमेंट प्लान तैयार करने के लिए बिना निदेशालय एवं राज्य सरकार के आदेशों को ध्यान में रखे, अपने स्तर पर ही कन्सलटन्सी फर्म ग्रीन सिटी सर्वेयर, जयपुर को जोनल डवलपमेंट प्लान तैयार करने की प्रक्रिया में लगभग 3.29 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा कर की गयी अनियमितता की जांच हेतु विभागीय आदेश दिनांक 29.04.19 द्वारा गठित चार सदस्यीय कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 08.05.19 में नगर पालिका, श्री डूंगरगढ़ के अध्यक्ष सहित अधिशासी अधिकारी, कनिष्ठ अभियन्ता, कनिष्ठ लेखाकार, कैशियर और भूमि शाखा प्रमारी लिपिक को सामूहिक रूप से षडयंत्रपूर्वक उक्त फर्म से साठ-गांठ कर सरकारी धनराशि के दुरुपयोग किये जाने का दोषी पाया गया है।

चूंकि दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध सीसीए नियम 16 के तहत जांच का निर्णय लिया गया है अतः राजस्थान सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका, श्री डूंगरगढ़ के निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया जाता है :-

1. श्री भवानी शंकर व्यास, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, श्री डूंगरगढ़
2. श्री नवीन कुमार मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता, नगर पालिका, श्री डूंगरगढ़
3. श्री पूनम चंद नाई, लेखाकार, नगर पालिका, श्री डूंगरगढ़ **हान सहा. राज. निरीक्षण, लाइन्**
4. श्री विनोद कुमार व्यास, कैशियर, नगर पालिका, श्री डूंगरगढ़
5. श्री सूरजभान, कनिष्ठ लिपिक, नगर पालिका, श्री डूंगरगढ़

उपरोक्त सभी अधिकारियों कार्मिकों का मुख्यालय निलम्बन काल में निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर में रहेगा और इनको नियमानुसार देय जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान नगर पालिका, श्री डूंगरगढ़ से किया जावेगा।

(पवन अरोडा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक एफ 2(घ)(निल.)आरएमएस(जांच)/डीएलबी/19/1420-1436 दिनांक: 31.5.19
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
3. जिला कलेक्टर, बीकानेर।
4. क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त प्रकरण में आपको निर्देशानुसार जांच अधिकारी नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में सभी आरोपित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध सीसीए 16 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ की जा कर, निर्धारित प्रपत्रों (अ,ब,स व द) की पूर्ति करते हुए 15 दिवस में प्रत्येक कार्मिक के पृथक पृथक आरोप पत्रादि इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
5. अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, श्री डूंगरगढ़ **लाइन्**
6. श्री भवानी शंकर व्यास, अधिशासी अधिकारी, श्री डूंगरगढ़
7. श्री नवीन कुमार मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता, नगर पालिका, श्री डूंगरगढ़।
8. श्री पूनमचंद नाई, लेखाकार, नगर पालिका, श्री डूंगरगढ़ **हान सहा. राज. निरीक्षण, लाइन्।**
9. श्री विनोद कुमार व्यास, कैशियर, नगर पालिका, श्री डूंगरगढ़।
10. श्री सूरजभान, कनिष्ठ लिपिक, नगर पालिका, श्री डूंगरगढ़।
11. उप निदेशक-आईटी, निदेशालय को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
12. वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर नियोजन शाखा, निदेशालय।
13. संस्थापन अनुभाग-आरएमएस/तकनीकी, एसएमई, निदेशालय।
14. सुरक्षित पत्रावली।

(सुनील भाटी)
अतिरिक्त निदेशक